न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी –डॉ. सौम्या झा
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं0 08/2023 प्रा0पत्र.3 जी(5)रा.रा.अ.

श्रीमती गंदोडी देवी पत्नी गोपाल मीना उर्फ गोपी जाति मीना निवासी सड़क वाली ढाणी, डूंगरपुर, तहसील राहुवास जिला दौसा

... प्रार्थी

बनाम

1. परियोजना निदेशक, भारतमाला परियोजना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संख्या 148 दिल्ली से वड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे, रावत पैलेस के पीछे, गंगाविहार कॉलोनी दौसा, जिला दौसा।
2. राज0 सरकार जरिए भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा तहसील राहुवास जिला दौसा।

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित– 1. श्री अशोक बटवाल, श्री विवेक बटवाल अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री विजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1

निर्णय दिनांक 03.06.2026

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ पचवारा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 148 एन के अंतर्गत ग्राम अरण्या खुर्द के खसरा नंबर 159/5 के पारित मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी रामगढ़ पचवारा से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि भारत सरकार द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन दिल्ली से बडोदरा एक्सप्रेस हाईवे 6 लेन हेतु ग्राम अरण्या खुर्द तहसील रामगढ पचवारा हाल तहसील राहुवास जिला दौसा की आराजी खसरा नम्बर 159/5 में से प्रार्थीनी के हिस्से व कब्जे की भूमि अधिगृहित की गई थी जिसकी मुआवजा राशि तथा उक्त आराजी खसरे मे स्थित शहतूत, नींबू, अमरूद, आम के पेडों की मुआवजा राशि बाबत अवॉर्ड बनाया गया किन्तु उक्त अवॉर्ड मे प्रार्थीनी के तीन आम के पेडों की गलत उम्र के आधार पर गलत राशि की गणना किये जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र निम्नांकित आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है कि भारतमाला प्रोजेक्ट मे वृक्षों की मुआवजा राशि प्रोजेक्ट अफेक्टेड फूट ट्रीज वेल्यूवेशन रिकॉर्ड के आधार पर आम के पेड की उम्र 43 वर्ष आंकी गई है जिसमें प्रतिवर्ष 1584/– रूपये की प्रतिवर्ष आय की गणना करते हुए तथा बेसिक वेल्यू 800/– रूपये जोड़ते हुए तथा मूल दर पर 100 प्रतिशत सोलेशियम राशि जोडी जाकर एक आम के वृक्ष की मुआवजा राशि की कानूनन गणना की जाती है तथा उक्त आम के वृक्ष की आयु में से अवाप्त किये जा रहे आम की आयु को घटाया जाकर उक्त आधार पर गणना कानूनन की जाती है किन्तु प्रार्थीनी के उक्त प्रकरण मे ऐसा नही किया गया। प्रार्थीनी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के कार्यालय मे अपने हिस्से की भूमि में अवाप्त किये जा रहे वृक्षो की मुआवजा राशि बनाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 20–09–2021 को प्रस्तुत किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 23–09–2021 को पटवारी व तहसीलदार के माध्यम से जांच कर रिपोर्ट तलब किये जाने बाबत आदेशित किया गया। उक्त आदेश की पालना मे पटवारी

जिला कलेक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हल्का डूंगरपुर द्वारा 29–11–2021 को मौके पर जाकर पर्चा मौका तैयार किया गया तथा प्रार्थीनी के तीनोंआम के पेड़ोंमें प्रत्येक पेड़ की आयु 13 वर्ष की गणना करते हुए रिपोर्ट प्रेषित की गई। पटवारी की उक्त मौका रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थीनी के आम के पेडों की आयु 43 वर्ष में से 13 वर्ष घटाये जाने के उपरान्त 30 वर्ष शेष रहती है। एक आम के वृक्ष की प्रतिवर्ष आय 1584/– रूपये निर्धारित है जिसको 30 से गुणा करने पर 47,520/– रूपये होते है जिसमे 800/– रूपये बेसिक आय जोडे जाने पर 48,320/– रूपये की राशि की गणना होती है। उक्त राशि पर 100 प्रतिशत सोलेशियम राशि जोडने पर 48,320+48320 कुल 96,640/– रूपये एक आम के वृक्ष की मुआवजा राशि होती है। प्रार्थीनी के तीन आम के वृक्ष है। प्रार्थीनी के तीन आम के वृक्षो की कुल राशि 96,640 गुणा 3 कुल 2,89,920/– रूपये होती है किन्तु प्रार्थीनी के उक्त आम की वृक्षो की अवॉर्ड नम्बर 24 के माध्यम से मात्र कुल मुआवजा राशि 4800/– रूपये मनमाने तरीके से निर्धारित करते हुए अवॉर्ड पारित किया गया जबकि प्रार्थीनी अपने तीनों आमों के वृक्षों की मुआवजा राशि कानूनन 2,89,920/– रूपये प्राप्त करने की एकमात्र अधिकारीणी है। प्रार्थीनी द्वारा उक्त अवॉर्ड की सत्यप्रतिलिपि जून 2022 में प्राप्त करने पर प्रार्थीनी द्वारा उक्त विषयक आपत्ति अप्रार्थी संख्या 2 के कार्यालय मे प्रस्तुत की गई जिस पर प्रार्थीनी को उक्त मुआवजा राशि की नियमानुसार गणना कर संशोधित किये जाने बाबत आश्वासन दिया जाकर टालमटोल किया जाता रहा। प्रार्थीनी द्वारा दिनांक 20–01–2023 को अप्रार्थी संख्या 2 को अधिक जोर देकर कहे जाने पर उनके द्वारा उक्त अवॉर्ड नियमानुसार संशोधित किये जाने से इंकार किये जाने के फलस्वरूप उक्त प्रार्थना पत्र अविलम्ब प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। विद्वान अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी का आदेश भारतमाला प्रोजेक्ट में वृक्षों की मुआवजा राशि प्रोजेक्ट अफेक्टेड फूट ट्रीज वेल्यूवेशन सूची के मेन्डेट्री प्रावधानों के विपरीत होने के कारण संशोधित किये जाने योग्य है। प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र सुनने का एक मात्र क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार न्यायालय मान्य को प्राप्त है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीनी के अवाप्तशुदा तीनो आमो के वृक्ष की मुआवजा राशि की गणना पर्चा मौका दिनांक 29–11–2021 पटवारी रिपोर्ट मे बताये गये प्रार्थीनी के आम के वृक्षो की आयु के आधार पर व भारतमाला प्रोजेक्ट मे वृक्षो की मुआवजा राशि प्रोजेक्ट अफेक्टेड फूट ट्रीज वेल्यूवेशन सूची के अनुसार गणना कराते हुए कुल मुआवजा राशि 2,89,920/– रूपये. प्रार्थीनी को दिलाये जाने के आदेश प्रसारित करने की कृपा करें।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने बहस में कथन किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है जिसको कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, प्रबन्ध एवं रख–रखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा प्राधिकरण का यह सतत् प्रयास है कि वह जनसाधारण को सुरक्षित तथा पर्याप्त रूप से निर्मित व विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग उपलब्ध कराये। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किसी भी राजमार्ग को व्यापक लोकहित में देखते हुए उसे राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने का कार्य करती है, तथा अधिनियम की धारा 2 के तहत किसी भी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने की अधिघोषणा करती है, तथा उक्त अधिघोषणा केन्द्र सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करती है। केन्द्र सरकार किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रबंधन, अनुरक्षण, प्रचालन, चौडा करने, 4/6 लेनीकरण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 की उपधारा के तहत केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति करती है, जिसके तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा अभिनिर्धारण का कार्य सम्पन्न करवाया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के तहत अवाप्ति की सम्पूर्ण कार्यवाही कर 4/6 लेनीकरण के लिए भूमि उत्तरदाता प्राधिकरण को सुपुर्द करती है, जिसके पश्चात् ही उत्तरदाता प्राधिकरण द्वारा 4/6 लेनीकरण का कार्य सम्पन्न करवाया जाता है। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार नई दिल्ली ने व्यापक लोक हित को देखते हुए भारत में राजस्थान राज्य के दौसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग से 304.4 कि.मी. से संख्या एन के 236 से 304.4 कि.मी. (दिल्ली – बडोदरा एक्सप्रेसवे) के निर्माण

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2306 (अ) दिनांक 05.06.2018 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति के कृत्यों का पालन करने के लिए अप्रार्थी संख्या 2 उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा को सक्षम प्राधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के दिल्ली – बडोदरा एक्सप्रेसवे के निर्माण (आठ लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के अन्तर्गत सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना का. आ. 4117 (अ) दिनांक 21.08.2018 जारी की गई जो भारत के राजपत्र में दिनांक 23.08.2018 को प्रकाशित की गयी। उक्त अधिसूचना का सार राजस्थान राज्य के दो दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर एवं दैनिक नवज्योति में दिनांक 11.09. 2018 को प्रकाशित किया जाकर भूमि का अर्जन किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन के विरूद्ध उस भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियॉ सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था तथा समक्ष अधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। धारा 3 ए का नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात् जिन व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई उन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा उक्त आपत्तियों को सुनने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियों का विधि के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तथा अधिग्रहण की घोषणा के सम्बन्ध में प्रावधान दिये गये हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के दिल्ली – बडोदरा एक्सप्रेसवे के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हे निर्णित करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 74 (अ) दिनांक 04.01.2019 जारी की गयी, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 05.01.2019 को प्रकाशित की गयी। उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्रों समाचार जगत व दैनिक भास्कर में दिनांक 26.01.2019 को प्रकाशित किया गया। उक्त अधिसूचना के पश्चात् अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर 5 वाके ग्राम अरण्या खुर्द तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा समस्त अधिग्रहित भूमि सभी विल्लगंमों से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार निहित हो चुकी है। केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत जारी 3 ए अधिसूचना में वाके ग्राम अरण्या खुर्द तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा के अवाप्त रकबे बावत् अधिसूचना प्रकाशित की गई। उक्त आराजी के एवम् समस्त अवाप्त की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में भी सम्बन्धित हितधारियों से आक्षेप आमंत्रित किये गये। प्राप्त सभी आपत्तियों पर विचार करने के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त विवादित आराजी के अर्जन बावत् रिपोर्ट तैयार कर केन्द्र सरकार नई दिल्ली को भेजी गई जिसके आधार पर केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा भूमि अर्जन बावत् अधिनियम की धारा 3 डी की अधिसूचना प्रकाशित की गई। उक्त अधिसूचना में यह अंकित किया गया कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलग्ममों से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार में निहीत हो चुकी है। प्रस्तुत प्रकरण में अधिग्रहित उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (ए) एवं 3 (डी) के अन्तर्गत जो उपरोक्त अधिसूचना जारी की गई उसके द्वारा खसरा नम्बर 5 की 4.5925 हैक्टेयर भूमिकिस्म ढहरी – 2 /गै.मु. सडक, सरकारी/निजी वाके ग्राम ग्राम अरण्या खुर्द तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा दर्ज थी। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 एफ के अनुसार धारा 3 डी के अन्तर्गत केन्द्रीय – सरकार में निहित भूमि पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति उक्त भूमि पर निर्माण, रख–रखाव अथवा उससे सम्बन्धित अन्य कोई कार्य करने हेतु प्रवेश कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (जी) के तहत

जिला कलेक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं निर्माण की मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया व अधिनियम की धारा 3 जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि एवं भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों की मुआवजा राशि निर्धारित की गई अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) को जमा करवा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर निर्धारण के लिए निहित प्रक्रिया की अनुपालना करते हुए अवार्ड पारित किया गया है तथा भू–अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को उनके अंश व हिस्से के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण किया गया है। अर्जित भूमि पर स्थित भवन, वृक्षों व फसल आदि की मुआवजा राशिः– भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–30 की उपधारा–1 के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन और अन्य स्थावर सम्पत्ति या आस्तियों के बाजार मूल्य का अवधारण करने के लिये, सुसंगत क्षेत्र में किसी सक्षम इंजीनियर या ऐसे किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवा का उपयोग करने के प्रावधान हैं, जिसके अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन इत्यादि परिसम्पत्ति का मूल्यांकन/सत्यापन सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराकर आख्या/रिपोर्ट अधीक्षण अभियन्ता सा. नि.वि. वृत, लालसोट द्वारा तथा अर्जित भूमि पर स्थित निजी वृक्षो का मूल्यांकन वन विभाग से कराकर मूल्यांकन आख्या/रिपोट सहायक निदेषक, उद्यान, द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) को उपलब्ध करायी गयी जिसके अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन, वृक्षो व फसल आदि की मुआवजा राशि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गयी है। प्रार्थीया किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति द्वारा भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–30 के अनुसार अर्जित भूमि के बाजार मूल्य एवं अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों की धनराशि पर समान रूप से 100 प्रतिशत तोषण आंगणित किया जाकर अर्जित भूमि पर स्थित भवनों, वृक्षों आदि परिसम्पत्ति का मुआवजा निर्धारित किया गया। अर्जन निकाय द्वारा अधिग्रहित भूमि लोक हित में राष्ट्रीय राजमार्ग के निमार्ण हेतु अधिग्रहित की गई है। अधिग्रहन का उद्देश्य न तो आवासीय और न ही व्यवसायिक है। लोकहित में राजमार्ग का निमाण किया जा रहा है जिसमें अधिक दूरी को कम समय में तय किया जा सके। ईंधन/ऊर्जा की कम खपत हो तथा मार्ग दुर्घटनाओं से बचा जा सके तथा आवागमन सुगम एवं सुरक्षित हो तथा अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर का निर्धारण अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित किया गया है जो विधि सम्मत् एवं उचित है । वर्तमान भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत की गई है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र असत्य एवं मनगढंत तथ्यों पर आधारित करते हुए प्रस्तुत किया गया है जो कि विशेष हर्जा – खर्चा निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त आपत्तियाँ बिना एक दूसरे पर प्रभाव डाले प्रस्तुत की जा रही हैं जिनसे स्पष्ट है कि अवाप्तशुदा भूमि पर आम के वृक्षों की मुआवजा राशि निर्धारित की गई है वह पूर्णतः विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत ही निर्धारित की गई है, प्रार्थीया इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है व प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। बिना उक्त प्राथमिक आपत्तियों पर प्रभाव डाले अप्रार्थी संख्या 1 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का मदवार जवाब निम्न है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 जिस प्रकार दर्ज की गई है गलत है व स्वीकार नहीं है । सही तथ्य यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के दिल्ली – बडोदरा एक्सप्रेसवे के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का. आ. 74(अ) दिनांक 04.01.2019 जारी की गयी, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 05.01.2019 को प्रकाशित की गयी । उक्त अधिसूचना का सार 02 दैनिक समाचार पत्रों समाचार जगत व दैनिक भास्कर में दिनांक 26.01.2019 को प्रकाशित किया गया। उक्त अधिसूचना के पश्चात् अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर 5 वाके

जिला कलक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ग्राम अरण्याखुर्द तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा समस्त अधिग्रहित भूमि सभी विल्लगंमों से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार निहित हो चुकी है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अर्जित भूमि पर स्थित भवन, वृक्षों व फसल आदि की मुआवजा राशि भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित निजी वृक्षों का मूल्यांकन वन विभाग एवं सहायक निदेशक उद्यान से करवाया जाकर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। प्रार्थीया किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 व 3 जिस प्रकार दर्ज की गई है गलत है व स्वीकार नहीं है। सही तथ्य यह है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित वृक्षों की मुआवजा राशि सहायक निदेशक, उद्यान, विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित की गयी है। प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 जिस प्रकार दर्ज की गई है गलत है व स्वीकार नहीं है। सही तथ्य यह है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित वृक्षों की मुआवजा राशि सहायक निदेशक, उद्यान, विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित की गयी है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों की धनराशि पर समान रूप से 100 प्रतिशत तोषण आंगणित किया जाकर अर्जित भूमि पर स्थित भवनों, वृक्षों आदि परिसम्पत्ति का मुआवजा निर्धारित किया गया। प्रार्थीया ने अनावश्यक अधिक मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय धनराशि का दुरूपयोग करने की नियत से बिना किसी आधार के वृक्षों की आयु गलत अंकित की है ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 कानूनी है। यहॉ यह उल्लेखित किया जाना आवश्यक है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधि अनुसार तैयार की गयी रिपोर्ट के अनुसार ही सही मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। यहाँ यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो भी अवार्ड पारित किया गया है वह सम्पूर्ण जॉच के पश्चात् अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 जिस प्रकार दर्ज की गई है गलत है व स्वीकार नहीं है। विस्तृत जबाव पूर्व की मदों में अंकित किया गया है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 कानूनी है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 जिस प्रकार दर्ज की गई है गलत है व स्वीकार नहीं है। प्रार्थीया अन्य कोई तथ्य जो कि इस प्रार्थना–पत्र में अंकित नहीं किये गये माननीय न्यायालय के समक्ष अर्ज करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीया को जो भी कथन अथवा उज्रात न्यायालय के समक्ष रखने हैं वो लिखित रूप में प्रस्तुत किये जाने चाहिए किसी भी प्रकार के कथन या उज्रात का प्रार्थना पत्र में उल्लेख किये बिना मौखिक रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती इसलिए प्रार्थना पत्र में अंकित किये बिना मौखिक रूप से अन्य कोई तथ्य प्रस्तुत करने की प्रार्थीनी अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी रामगढ़ पचवारा के द्वारा प्रार्थी की ग्राम अरण्या खुर्द स्थित भूमि खसरा नंबर 159/5 में स्थित शहतूत, नींबू, अमरूद, आम के पेडों का मुआवजा अवार्ड आदेश विधिवत रूप से पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा गलत आधारों पर मुआवजा बढी हुई दर से प्राप्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जावे।
6. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके अनुसार भारत सरकार द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन दिल्ली से बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे 6 लेन हेतु ग्राम अरण्या खुर्द तहसील रामगढ पचवारा हाल तहसील राहूवास जिला दौसा की आराजी खसरा नंबर 159/5 में से प्रार्थीनी के हिस्से व कब्जे की भूमि अधिगृहित की गई थी जिसकी मुआवजा राशि तथा उक्त आराजी खसरा में स्थित शहतूत, नींबू, अमरूद, आम के पेडोंकी मुआवजा राशि का अवार्ड राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार बनाया था। मुआवजा राशि का निर्धारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के सम्पूर्ण नियमों एवं धाराओं को ध्यान में

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रखते हुए तत्समय उपपंजीयक, रामगढ़ पचवारा द्वारा उपलब्ध करवायी गयी डीएलसी दर के आधार पर किया गया है।

7. हमनें उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. प्रार्थीया द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3G(5) के अंतर्गत, **NH-148N** (भारतमाला) भूमि–अवाप्ति में उसके 3 आम वृक्षों के मूल्यांकन को अपर्याप्त बताते हुए प्रतिकर वृद्धि चाही गई है। अवार्ड में उक्त वृक्षों हेतु ₹4,800 निर्धारित किए गए, जबकि प्रार्थीया द्वारा ₹2,89,920 का दावा प्रस्तुत किया गया है।

9. परिसीमा संबंधी आपत्ति इस स्तर पर निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं होने से प्रकरण को मात्र विलंब के आधार पर निरस्त नहीं किया जा रहा है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत ₹2,89,920 की गणना उसकी स्वयं की पद्धति (वृक्ष आयु एवं भावी आय आधार) पर आधारित है, जो प्रतिकर निर्धारण का मान्य आधार नहीं है। प्रतिकर का मान्य आधार उद्यान/वन विभाग की वह अनुमोदित फलदार वृक्ष मूल्यांकन दर–सूची है जो परियोजना में प्रचलित थी। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी रामगढ पचवारा के द्वारा प्रार्थिया की अवाप्तशुदा भूमि पर कुल 3 पेडों का मुआवजा 4800/– रूपये निर्धारित किया गया है जो कि कम प्रतीत होता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस अनुमोदित दर–सूची एवं वृक्ष–आयु के आधार पर ₹4,800 की राशि निर्धारित की गई। यदि अनुमोदित दर–सूची के सही प्रयोग पर देय राशि ₹4,800 से अधिक बनती है, तो अवार्ड में संशोधन किया जाना हम न्यायोचित समझते है।

13. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3 जी (5) आंशिक स्वीकार किया जाता है। भूमि–अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी रामगढ पचवारा को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरणाधीन 3 आम वृक्षों के संबंध में परियोजना में लागू अनुमोदित उद्यान/वन विभाग फलदार वृक्ष मूल्यांकन दर–सूची, मौका/आयु रिपोर्ट तथा अवार्ड के दर–आधार की समीक्षा करें। उक्त अभिलेख प्राप्ति पश्चात, यदि अनुमोदित दर–सूची के सही प्रयोग से वृक्षों का देय मूल्य निर्धारित ₹4,800 से अधिक पाया जाता है अथवा कोई लिपिकीय त्रुटी हुई हो तो अवार्ड को संशोधन/पुनर्निर्धारण करें। यदि अनुमोदित दर–सूची का सही प्रयोग सिद्ध होता है, तो प्रतिकर वृद्धि का दावा कारणयुक्त आदेश से निरस्त किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रार्थीया द्वारा स्वयं गणना की गई राशि प्रतिकर का आधार नहीं मानी जाएगी। निर्णय की प्रति भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी रामगढ पचवारा को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 3 जून, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official